

**बिहार प्रशासनिक सेवा संघ**  
प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800 001  
(पंजीयन सं०-633/2003)  
E-mail : basa\_bihar@yahoo.com



पत्रांक :.....०१.....

दिनांक .....15/1/2009.....

**अध्यक्ष**

**अरूण चन्द्र मिश्र**  
(M) 9835281295  
(M) 9939469410  
(R) 0612-2526123

\*\*\*

**उपाध्यक्ष**

**\* शम्भु नाथ मिश्र**  
(M) 9431619672  
(O) 9334387630  
(F) 0612-2504498  
(R) 0612-2288139

**\* अख्ताक अहमद**  
(M) 9934280177  
(O) 0612-2219693

\*\*\*

**महासचिव**

**सुशील कुमार**  
(M) 9431091417  
(O) 9431818484

\*\*\*

**संयुक्त सचिव**

**\* राजयबन्ध बडियार**  
(M) 9431093157  
(O) 9431818010

**\* अनिल कुमार**  
(M) 9431409463

\*\*\*

**कोषाध्यक्ष**

**चन्द्र शेखर सिंह**  
(M) 9334131351

\*\*\*

**संयुक्त कोषाध्यक्ष**

**सोमेश बहादुर माथुर**  
(M) 9431407901  
(O) 9334387555

सेवा में,

सचिव,  
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,  
बिहार, पटना ।

विषय : श्री देवेन्द्र कुमार, सम्प्रति निलंबित बि०प्र०से० के पदाधिकारी को  
जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि श्री देवेन्द्र कुमार, तत्कालीन उप  
समाहर्ता, पटना को दिनांक 12-07-05 के प्रभाव से कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार  
विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक 12693 दिनांक 14-12-06 के द्वारा निलंबित किया  
गया था ।

बहुत दुःख के साथ लिखना पड़ रहा है कि नियमित रूप से जीवन निर्वाह  
भत्ता का भुगतान हो इसके लिए भी संघ को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है ।

श्री देवेन्द्र कुमार को मार्च, 2007 से जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान हुआ  
है । कारा में संसीमन अवधि में भी जीवन निर्वाह भत्ता भुगतेय रहने के बावजूद  
12-07-05 से फरवरी, 07 तक का जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान नहीं किया जाना  
अमानवीय कृत्य है । लगभग साढ़े तीन वर्षों से निलम्बन अवधि में पदाधिकारी हैं  
और अभी तक उन्हें 50 प्रतिशत का भुगतान जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में हो रहा  
है ।

अनुरोध है कि दिनांक 12-07-06 से 75 प्रतिशत की दर से जीवन  
निर्वाह भत्ता भुगतान करने का आदेश शीघ्र निर्गत करने की कृपा की जाय तथा  
बकाये का भुगतान अविलम्ब हो इसको भी सुनिश्चित करने की कृपा की जाय ।

इसके अतिरिक्त आपसे अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही का निस्तार  
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा निर्गत दिशा निदेश के अनुरूप शीघ्र  
निस्तार करने के संबंध में भी अपना निजी ध्यान देने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

(ए० सी० मिश्र)

अध्यक्ष

ज्ञापांक ०१

दिनांक 15.01.09

प्रतिलिपि: श्री देवेन्द्र कुमार निलंबित बि०प्र०से० को सूचनार्थ ।

(ए० सी० मिश्र)

अध्यक्ष